संचिका संख्या : 3075/4/4/2021, 8015/4/4/2021 एवं 1427/4/4/2021

दिनांक–14.03.2023

दिनांक–05.09.2022 के आदेश के द्वारा मुख्य सचिव, बिहार एवं प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन को आयोग के आदेश दिनांक–19.05.2022 की प्रति भेजते हुए राज्य आयोग के पृच्छा के आलोक में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुनः दिनांक–05.09.2022 एवं दिनांक–07.12.2022 के आदेश के द्वारा उन्हें स्मारित भी किया गया, परन्तु प्रतिवेदन अप्राप्त है।

प्रस्तुत संचिका तथा संलग्न संचिकाएं आवेदिका के द्वारा यह कहते हुए उनके पति वन/पशु रक्षक के रूप में बेगूसराय जिलान्तर्गत वन विभाग में कार्यरत थे। जिन्हें कटे हुए पेड़ को हटवाने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था। इसी क्रम में दूसरे वृक्ष की डाली उनके पति के शरीर पर गिरने के कारण उनके पति की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई। आवेदिका के द्वारा यह आरोप लगाते हुए कि उनकी पति की मृत्यु सरकारी पदाधिकारियों के लापरवाही से हुई है। उनके पति एक मात्र कमाऊ सदस्य थे क्षतिपूर्ति अनुदान दिलवाने तथा आश्रित को सरकारी नौकरी दिलाने के अनुरोध के साथ यह आवेदन दाखिल किया गया था।

पूर्व में प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, बेगूसराय का प्रतिवेदन सरकार के अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र के साथ प्राप्त है, जिसके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका के पति की मृत्यु पेड़ की टहनी गिरने से हुई है। इस संबंध में आश्रित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देना इस कार्यालय से संबंधित है।

आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक–402/आ0प्र0, दिनांक–19.01.2021 के अनुसार व्यक्ति समूह के कुप्रभावित होने पर ही गैर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अनुग्रह अनुदान अनुमान्य है, जबकि उक्त घटना में समूह कुप्रभावित नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है। इसी आशय का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय के द्वारा भी समर्पित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदिका के पति की मृत्यु सरकारी कार्य करने के दौरान हुई है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके परिवार का भरण–पोषण का साधन नहीं है। आवेदिका को अपूर्णीय क्षति हुई है। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिनांक–19.05.2022 के आदेश की प्रति मुख्य सचिव, बिहार को भेजते हुए उन्हें किसी कर्मचारी एवं मजदूर के मृत्यु कार्य के दौरान हुआ है तो उनके आश्रित को अनुग्रह अनुदान से वंचित किये

जाने को उचित नहीं मानते हुए इस संबंध में उचित कार्रवाई करते हुए एक प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया था, जिससे आवेदिका के जीने का अधिकार का उल्लंघन न हो, परन्तु मुख्य सचिव, बिहार एवं प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से प्रतिवेदन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा दाखिल किये गये प्रतिवेदन जिसके द्वारा यह कहा गया है कि इस घटना में एकल व्यक्ति प्रभावित हुआ है, समूह प्रभावित नहीं हुआ है। अतः क्षतिपूर्ति अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है। इससे राज्य आयोग सहमत नहीं है, क्योंकि एकल मृत्यु हो या सामूहिक मृत्यु हो इसमें परिवार सामान्य रूप से प्रभावित होता है, यह भी स्पष्ट है कि आवेदिका के पति की मृत्यु सरकारी कार्य के दौरान हुई है। अतः ऐसे स्थिति में आवेदिका के पति की मृत्यु के उपरान्त उनके निकटतम संबंधी को क्षतिपूर्ति अनुदान पाने के अधिकारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदिका को उनके पति की मृत्यु से हुई अपूर्णीय क्षति के लिए 4 लाख रुपये की राशि क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में भुगतान किये जाने की अनुशंसा करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन 8 सप्ताह के अन्दर समर्पित करने का निर्देश दिया जाता है।

दिनांक–24.07.2023 को अनुपालन प्रतिवेदन एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson